

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2799
मंगलवार, 10 मार्च, 2026/19 फाल्गुन, 1947 (शक) को उत्तरार्थ
राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस

†2799. श्री मनोज तिवारी:

डॉ. निशिकान्त दुबे:

श्री दामोदर अग्रवाल:

श्री तेजस्वी सूर्या:

श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:

श्री शंकर लालवानी:

श्री यदुवीर वाडियार:

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस (एनसीडी) को सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में पूरी तरह से लागू कर दिया गया;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जनवरी, 2026 तक एनसीडी में शामिल और पंजीकृत की गई सहकारी समितियों की राज्य-बार/संघ राज्यक्षेत्र-बार कुल संख्या कितनी है;
- (ग) क्या सत्यापन, अनुपालन निगरानी, वित्तीय रिपोर्टिंग और विनियामक निरीक्षण के प्रयोजनार्थ डेटाबेस को अन्य सरकारी पोर्टलों और डिजिटल प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या मंत्रालय ने सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता, निगरानी और नीति नियोजन में सुधार लाने पर एनसीडी के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं, और
- (ङ) राजस्थान के राजसमंद जिले में सरकार द्वारा क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) जी हाँ, मान्यवर। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) को सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहयोग से विकसित किया गया है। एनसीडी पोर्टल का शुभारंभ दिनांक 08 मार्च, 2024 को किया गया था। इस डेटाबेस को तीन चरणों में विकसित किया गया था, और इसमें सहकारी

समितियों के स्थान, सदस्यता, आर्थिक कार्यकलापों, अवसरचना, वित्तीय प्रदर्शन और संपरीक्षा विवरण जैसे मापदंडों पर डेटा शामिल है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस <https://cooperatives.gov.in> पर उपलब्ध है।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) देश भर की 8.4 लाख से अधिक सहकारी समितियों की जानकारी के लिए सिंगल-पॉइंट एक्सेस प्रदान करता है, जिसमें 30 क्षेत्रों के लगभग 31 करोड़ सदस्य शामिल हैं। एनसीडी के अनुसार, सहकारी समितियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या **संग्रह-1** के रूप में संग्रह है।

(ग) जी हाँ, मान्यवर। डेटा की सटीकता और अंतःप्रचालनीयता सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) पोर्टल को विभिन्न सरकारी पोर्टलों और डिजिटल प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत किया गया है, जैसे रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेके) डेटाबेस, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) का कॉमन सेवा केंद्र (सीएससी) डेटाबेस, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) डेटाबेस, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) का उद्यम पोर्टल और पैक्स का कंप्यूटरीकरण (ई-पैक्स) पोर्टल।

इसके अतिरिक्त, सहकारी समितियों के सटीक और अद्यतन डेटा को बनाए रखने के लिए, एनसीडी पोर्टल को एपीआई के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारी समितियों के पंजीयक (आरसीएस) पोर्टलों के साथ एकीकृत किया जा रहा है, जिससे स्वचालित डेटा अद्यतन, सिंक्रोनाइजेशन और कुशल सूचना प्रबंधन संभव हो सकेगा। दिनांक 01.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, मिजोरम और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव राज्यों ने एनसीडी पोर्टल के साथ एकीकरण पूरा कर लिया है।

(घ) और (ङ) नीति निर्माताओं, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों द्वारा सहकारी आंदोलन को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) का उपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां समितियां कम प्रदर्शन कर रही हैं। इस डेटाबेस का उपयोग राजस्थान के राजसमंद जिले सहित देश भर की आच्छादित और अनाच्छादित ग्राम पंचायतों सहित सहकारी समितियों के भौगोलिक प्रसार में कमियों को चिह्नित करने के लिए किया जाता है।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) का उपयोग करते हुए, सरकार ने सहकारी समितियों का राज्य/जिला/ब्लॉक-वार और क्षेत्र-वार आकलन और रैंक करने के लिए 24 जनवरी 2025 को सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सहकारी समितियों (आरसीएस) के पंजीयक एनसीडी पोर्टल के माध्यम से 12 प्रमुख क्षेत्रों की प्राथमिक सहकारी समितियों की रैंकिंग तैयार कर सकते हैं। इस रैंकिंग प्रणाली का उद्देश्य सहकारी समितियों के बीच पारदर्शिता, विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है, जिससे अंततः उनके विकास को बढ़ावा मिलेगा।

राज्यवार सहकारी समितियों की कुल संख्या

| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम | समितियों की कुल संख्या |
|----------|-----------------------------------|------------------------|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 2,239 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 18,183 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 1,461 |
| 4 | असम | 12,427 |
| 5 | बिहार | 27,387 |
| 6 | चंडीगढ़ | 476 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 11,845 |
| 8 | दिल्ली | 5,944 |
| 9 | गोवा | 5,593 |
| 10 | गुजरात | 86,519 |
| 11 | हरियाणा | 34,673 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 5,791 |
| 13 | जम्मू और कश्मीर | 10,620 |
| 14 | झारखंड | 12,091 |
| 15 | कर्नाटक | 46,969 |
| 16 | केरल | 19,652 |
| 17 | लद्दाख | 275 |
| 18 | लक्षद्वीप | 43 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 53,965 |
| 20 | महाराष्ट्र | 2,25,986 |
| 21 | मणिपुर | 11,627 |
| 22 | मेघालय | 3,452 |
| 23 | मिजोरम | 1,560 |
| 24 | नागालैंड | 7,955 |
| 25 | ओडिशा | 8,362 |
| 26 | पुडुचेरी | 464 |
| 27 | पंजाब | 19,662 |
| 28 | राजस्थान | 41,969 |
| 29 | सिक्किम | 3,768 |
| 30 | तमिलनाडु | 23,210 |
| 31 | तेलंगाना | 60,858 |
| 32 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 597 |
| 33 | त्रिपुरा | 3,270 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 40,709 |
| 35 | उत्तराखंड | 6,393 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 32,142 |
| | कुल | 8,48,137 |

स्रोत: दिनांक 20.01.2026 की स्थिति के अनुसार एनसीडी पोर्टल